न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2017-00248Jodhpur223RTA2017-68 Bhawarsingh Vs state of rajasthan etc

---

भंवरसिंह पुत्र श्री गणपत सिंह जाति राजपूत,
निवासी- पालड़ीसिद्धा, तहसील भोपालगढ, जिला
जोधपुर।

..... अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
2. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
3. गणपतसिंह पुत्र जांवत के विधिक प्रतिनिधिगण-
   3.1. किशन सिंह पुत्र गणपतसिंह
   3.2. उम्मेदकंवर पुत्री गणपतसिंह
   3.3. सुगनकंवर पुत्री गणपतसिंह (फौत होने से अबेट)
   3.4. दुर्गाकंवर पुत्री गणपत सिंह(फौत होने से अबेट)
   3.5. भंवरकंवर पत्नी गणपत सिंह (फौत होने से अबेट)
   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- पालड़ी सिद्धा तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
4. श्रीमती आनंद कंवर पत्नी श्री गंगासिंह जाति राजपूत, निवासी- ग्राम कागल, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

..... रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर दिनांक 10 जुलाई 2017 राजस्व प्रकरण संख्या 77/2013 भंवरसिंह बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गणपतसिंह के विधिक प्रतिनिधि इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित --

श्री प्रेम दयाल बोहरा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रणजीत सिह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 3/1
श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. 1 व 2

नि र्ण य

दिनांक : 12 अक्टूबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, पीपाड़ शहर द्वारा पारित राजस्व वाद संख्या 77/2013 अनवान भंवर सिंह बनाम गणपतसिंह के विधिक वारिसान् व अन्य में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जुलाई 2017 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष यह अपील दिनांक 02 अगस्त 2017 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का बाबत् घोषणा खातेदारी एवं बंटवाड़ा तथा स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम पालड़ी सिद्धा की सरहद में गणपतसिंह के नाम से पुश्तैनी कृषि भूमि खाता संख्या 52 के अनुसार खसरा नं. 363 रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा किस्म बीए, खसरा नं. 364 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, किस्म बी. द्वितीय, खसरा नं. 26 रकबा 18 बीघा 07 बिस्वा, किस्म बी तृतीय, खसरा नं. 258 रकबा 12 बीघा किस्म बी तृतीय, खसरा नं. 587 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा किस्म बी तृतीय, खसरा नं. 79/1 रकबा 13 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

17 बिस्वा किस्म बी तृतीय, कुल खसरा 6 कुल रकबा 79 बीघा 12 बिस्वा भूमि आयी हुयी है। अपीलांट गणपतसिंह का जायंदा पुत्र है और रेस्पोडेंट संख्या 2 अपीलांट का सगा भाई है और तीसरा भाई लादूसिंह था जो मदनकंवर के गोद चला गया। इस तरह गणपतसिंह की जमीन पर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2/1 का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी सहादायगी सम्पति होने से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के दादा स्व. श्री जांवतसिंह से प्राप्त होने से अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर जन्म से ही अधिकार है, रेस्पोडेंट गणपतसिंह ने फेमिली सेटलमेंट के तहत भूमि का विभाजन कर वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा अपीलांट एवं 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 2/1 को बराबर बराबर 1/2: 1/2 अनुसार सुपुर्द कर दिया, जिसके अनुसार अपीलांट वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। फेमिली सेटलमेंट के तहत मौके पर आपसी सहमति एवं स्वेच्छा से काबिज है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में माप व सीमांकन के आधार पर बंटवाड़ा के अभाव में तरमीम नहीं की हुयी है, जिसके कारण रेस्पोडेंट संख्या 2/1 व मृतक गणपतसिंह दोनों ने मिली भगत कर वादग्रस्त अविभाजित कृषि भूमि में सें खसरा नं. 587 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा में सें 8 बीघा 5 बिस्वा जमीन का एक बेचाननामा दिनांक 08.07.2004 को रेस्पोडेंट संख्या 4 अजनबी के हक में निष्पादित करवा दिया जो कि मृतक गणपतसिंह को बिना परिवार की जायद जरूरत के विक्रय करने का कतई अधिकार नहीं था तथा न ही ऐसे बेचान नामा के आधार पर अपीलांट के खातेदारी अधिकार समाप्त हुए है न रेस्पोडेंट संख्या 4 आनंदकंवर को किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार ही प्राप्त हुए है, इस कारण कब्जे के अभाव में इस प्रकार से अविभाजित कृषि भूमि का बेचाननामा दिनांक 08.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जुलाई 2004 स्वतः ही शून्य है और निवेदन किया कि वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित आराजी कुल रकबा 79 बीघा 12 बिस्वा का अपीलांट को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं रेकर्ड में अंकन किया जावे तथा यह भी निवेदन किया कि अपीलांट की हक हिस्सा कब्जा काश्त की जमीन में किसी प्रकार से दखलंदाजी न तो रेस्पोडेंट्स स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावें। रेस्पोडेंट के द्वारा अपीलांट के दावा का जवाबदावा पेश किया और वादी अपीलांट की ओर से दिये गये तथ्यों को अस्वीकार कर बेचान को सही रूप से किया जाना बताया और यह कथन स्वीकार किया कि लादूसिंह मदनकंवर के गोद चला गया और बंटवाड़ा नहीं होना कथन किया, अपीलांट व रेस्पोडेंट्स का संयुक्त कब्जा काश्त होने के कथन किये। विचारण न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षों के तथ्य और दस्तावेजात के अनुसार तनकीयात कायम किये। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत किये तथा साक्ष्य स्वरूप गवाहों के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये। रेस्पोडेंट्स की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनकर दिनांक 10 जुलाई 2017 को अपीलांट का दावा खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील पेश की है।

अपील एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री आरबिट्रेरी, स्वेच्छाचारी व अपने ही कयास लगाते हुए पारित किया गया है जो कि विधि के सारभूत सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कतई गौर नहीं किया गया कि अपीलांट वादी के द्वारा सभी दस्तावेजात

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिये गये थे जो कि निर्णय में भी अभिकथन किया गया है और रेस्पोडेंट के द्वारा तनकियात के पूर्व दस्तावेजो को एडमिट व डिनायल किया जाता है, उस वक्त भी बंटवार नामा को अस्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलांट के द्वारा पेश दस्तावेज पूर्ण रूप से साबित किये गये है जो कि मातहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। अपीलांट वादी द्वारा वास्ते घोषणात्मक पेश किया गया है और अपीलांट वादी द्वारा अपने दावा में वाद कारण को स्पष्ट रूप से अंकित किया है और अपीलांट ने अपना दावा साबित किया है कि आराजी भूमि पूर्ण रूप से पुश्तैनी है और बिना किसी अन्य सहदायगियों की अनुमति के भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के वाद के खण्डन के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट मृतक गणपत सिंह के द्वारा बेचान की गई भूमि को सही करार देते हुए बेचान नामा को सही ठहराया है और किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नही मानी और दूसरी तरफ भूमि को पुश्तैनी मानकर सभी का अधिकार माना और दूसरी तरफ भूमि को पुश्तैनी मानकर सभी का अधिकार माना और बंटवारनामा की लिखत को मृतक गणपतसिंह को करने का कोई अधिकार नहीं मानते हुए भी उक्त लिखत का कोई प्रभाव नहीं माना है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय वादी का खारिज कर विधिक रूप से भारी भूल की है, जिस आधार पर मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अपीलाधीन विवादग्रस्त भूमि के संबंध में एक अन्य वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समक्ष मुकदमा नं. 24/2018 अनवान सायर कंवर बनाम लादुसिंह इत्यादि अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन है। अपीलार्थी स्वयं उस मुकदमे में पक्षकार है। इसलिए विचाराधीन प्रकरण की विवादित विषय वस्तु समान होने से प्रकरण की एक साथ सुनवाई की जानी आवश्यक है अन्यथा पेचिदगियां उत्पन्न हो जायेगी। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट इस्तदुआ स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर जिला जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 77/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जुलाई 2017 को निरस्त फरमाया जावे तथा वाद के तथ्यों को कंसीडर करते हुवे अपील को रिमाण्ड किये जाने का आदेश फरमावें।

योग्य अधिवक्तागण रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में अपीलांट स्वयं पक्षकार है, जिसमें उसके अधिकारों की घोषणा का अवसर प्राप्त है। उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थीगण का कोई सरोकार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ उक्त दावा की कॉपी पेश की गई है, किंतु उक्त वाद तथा मौजूदा अपील में अलग-अलग पक्षकार तथा दोनों प्रकरणों की प्रकृति अलग-अलग होने के कारण एक साथ सुनवाई किया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज किया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावे को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थिति प्रदान की जाकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाधक कायम किये गये। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श-1 से प्रदर्श-3 करवाये गये तथा गवाहान् के रूप मे स्वयं वादी, भंवरसिंह, पताराम, धर्माराम, पूर्णसिंह, के साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नहीं की गई। तनकी संख्या एक में विवादग्रस्त आराजी को पुश्तेनी माना तथा वादी के समान उनकी बहनों का भी बराबर हक माना। वादी द्वारा प्रस्तुत लिखत का प्रदर्श नहीं करवाने तथा असल लिखत पेश नहीं करने पर तनकी संख्या एक वादी के विरुद्ध निर्णित की। **चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी माना है, इसलिए पैतृक भूमि में अपीलांट का हक हिस्सा जन्म से निहित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन भूमि के संबंध में ही अन्य दावा संख्या 24/2018 अनवान सायर कंवर बनाम लादूसिंह इत्यादि विचाराधीन है।** उक्त दावे में अपीलांट सहित अन्य खातेदार पक्षकार के रूप में संयोजित है। ऐसी स्थिति में आवेदन अपीलांट अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर अदालत हाजा हस्तगत अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय में विचाराधीन दावे के साथ Consolidate किया जाना विधिसम्मत मानती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जुलाई 2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को उनके यहां **विचाराधीन दावा संख्या 24/2018 अनवान सायर कंवर बनाम लादूसिंह इत्यादि के साथ इस वाद (77/2013) Consolidate (समेकित)** समेकित किया जाकर उभय पक्ष की सुनवाई करके बाद तनकीवार विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/IX/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर